तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.11/2018	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी
20.3.2023	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाम्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी बुद्धिराम पुत्र श्री जगबन्धन हरिजन, निवासी– 96 देवाही, तहसील मिर्जापुर, जिला– मिर्जापुर, (यू.पी.) 231001 को इस न्यायालय द्वारा उसके फर्म मैसर्स आमरस की दुकान, अम्बा माताजी मन्दिर के पास, आबूरोड़ के पते पर कई बार नोटिस जारी कर थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर को प्रतिवादी बुद्धिराम को नोटिस तामिल करवाने हेतु भिजवाये गये, लेकिन इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी बुद्धिराम को जारी नोटिस थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर से इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुये कि प्रतिवादी बुद्धिराम ने थोडे समय के लिये आम रस निकालने हेतु दुकान किराये पर ली थी जो अब छोडकर चला गया है तथा अब कहां रहता है व उसका पता क्या है वह मालूम नही है। प्रकरण में प्रतिवादी बुद्धिराम को इस न्यायालय द्वारा उसके निवास स्थान– 96 देवाही, तहसील– मिर्जापुर, जिला– मिर्जापुर, उ.प्र.–231001 के पते पर कई बार नोटिस जारी किये जाकर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रतिवादी को तामिली हेतु भिजवाये गये, लेकिन वो सभी पंजीकृत डाक भी इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिले प्राप्त हुई कि प्रतिवादी पूर्व में यहां रहता था, किन्तु विगत कई वर्षो से यहां नही रहता है तथा अब कहां रहता है ये मालूम नही है। प्रकरण में न्यायालय पत्रावली पर प्रतिवादी बुद्धिराम के उक्त पते के अलावा अन्य कोई पता उपलब्ध नही होने से इस न्यायालय के पत्र क्रमांकःरीडर/2020/1361 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिवादी बुद्धिराम का वर्तमान सही पता इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इस संबंध में स्मरण पत्र क्रमांकःरीडर/2021/158 दिनांक 22.1.2021 व क्रमांकःरीडर/2021/363 दिनांक 22.2.2021 को जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र दिनांक 05.3.29021 को इस न्यायालय में प्रेषित कर यह अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में नमूना संख्या S-739 के नमूनीकरण की कार्यवाही में प्रतिवादी बुद्धिराम द्वारा मौके पर उसके पहचान के रुप में केवल मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी, जिसमें निवास स्थान का पता– 96, देवाही, तहसील– मिर्जापुर, जिला– मिर्जापुर, उ.प्र. अंकित है। ऑन लाईन जानकारी करने पर भी उक्त पता ही दर्ज है तथा प्रतिवादी के मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज वर्तमान में उपलब्ध नही है। प्रतिवादी रोजगार के लिये वर्ष 2017 में आबूरोड़ आया था तथा अब वह कहां है ये बताना संभव नही है। प्रकरण में आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्र दिनांक 05.3.2021 के क्रम में इस .....लगातार	

न्याया. कृ. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.11/2018	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी
	न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिवादी बुद्धिराम को उसके निवास स्थान–96, देवाही, तहसील– मिर्जापुर, जिला–मिर्जापुर, उ.प्र. के पते पर कई बार नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये, लेकिन प्रतिवादी बुद्धिराम के सही पते के अभाव में उक्त सभी पंजीकृत डाक इस न्यायालय को अदम तामिलें प्राप्त हुई। चूंकि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी बुद्धिराम को कई बार नोटिस जारी कर तामिली हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड शहर को भिजवाये गये तथा प्रतिवादी के निवास स्थान के पते पर भी कई बार नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये, लेकिन प्रतिवादी बुद्धिराम के वर्तमान सही पते के अभाव में प्रतिवादी बुद्धिराम को नोटिस की तामिल नही हो पा रही है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी बुद्धिराम का वर्तमान सहीं पता प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रतिवादी बुद्धिराम का वर्तमान सही पता अब तक प्रस्तुत नही किया है। चूंकि इस न्यायालय के निर्देशों की पालना में आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी बुद्धिराम का वर्तमान सही पता प्रस्तुत नही किया है एवं वर्तमान सही पते के अभाव में प्रकरण में प्रतिवादी बुद्धिराम को नोटिस की तामिल नही हो पा रही है। ऐसी स्थिति में, आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./553/Act/2017/552 दिनांक 14.6.2017 में खाद्य पदार्थ आम रस का नमूना संख्या S-739 अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी बुद्धिराम के विरुद्ध प्रस्तुत यह न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी बुद्धिराम के विरुद्ध प्रस्तुत यह न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव को प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested